



म.प्र. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन

M.P. PRIVATE UNIVERSITY REGULATORY COMMISSION, BHOPAL

Government of Madhya Pradesh

क्र. 3174/शुल्क/म.प्र.नि.वि.वि.आयोग/2026

दिनांक - 03.09.2026

आदेश

प्रति,

कुलसचिव,

श्री अरविन्दो विश्वविद्यालय

इंदौर (म.प्र.)

विषय- शैक्षणिक सत्र वर्ष 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों की शुल्क समीक्षा।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 36(10)(ख) एवं (ड़) में निहित प्रावधानों के अनुपालन में प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों में वर्ष 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित प्राप्त शुल्क समीक्षा प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग द्वारा शिक्षा की लागत के आधार पर समीक्षा की गई है। आयोग द्वारा गठित शुल्क समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 01.09.2026 एवं 02.09.2026 में की गयी अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में एवं आयोग की 205वीं सभा बैठक दिनांक 03.09.2026 में किये गये अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण (राशि रुपये में)

S.No	Course Name	Proposed Fee by University	Fee Reviewed by Fee Review Committee		
			Tuition Fee (85%)	Development Fee & All other Miscellaneous fee (15%)	Total Fee
1	MBBS	1900000	1576155	278145	1854300
MS AND MD (CLINICAL) - A					
2	DERMATOLOGY	2500000	2092913	369338	2462250
3	RADIODIAGNOSIS	2500000	2092913	369338	2462250
MS AND MD (CLINICAL) - B					
4	OBSTETRICS & GYNAECOLOGY	2300000	1874250	330750	2205000
5	GENERAL MEDICINE	2300000	1874250	330750	2205000
MS AND MD (CLINICAL) - C					
6	ORTHOPAEDICS	2125000	1785000	315000	2100000
7	PAEDIATRICS	2125000	1785000	315000	2100000
8	OPHTHALMOLOGY	2125000	1785000	315000	2100000

skhan

// 02 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

9	PSYCHIATRY	2125000	1785000	315000	2100000
10	GENERAL SURGERY	2125000	1785000	315000	2100000
MS AND MD (CLINICAL) - D					
11	RESPIRATORY MEDICINE	2125000	1664513	293738	1958250
12	ANAESTHESIOLOGY	2125000	1664513	293738	1958250
13	RADIOTHERAPY	2125000	1664513	293738	1958250
14	OTO-RHINO-LARYNGOLOGY(ENT)	2125000	1664513	293738	1958250
15	EMERGENCY MEDICINES	2125000	1664513	293738	1958250
16	MS AND MD (PARA -CLINICAL) -E	1100000	892500	157500	1050000
17	MS AND MD (NON - CLINICAL) -F	97800	83130	14670	97800
18	M.PHILL	550000	446250	78750	525000
19	FELLOWSHIP	415000	330225	58275	388500
20	MSC GENETICS / MSC CLINICAL EMBRYOLOGY/FORENSIC SCIENCES/MEDICAL BIOCHEMISTRY	525000	428400	75600	504000
SUBJECT WISE FEES DEMANDED -:					
DM AND MCH -A					
21	DM - GASTRO	800000	680000	120000	800000
22	DM - NEURO	800000	680000	120000	800000
23	DM - NEPHRO	800000	680000	120000	800000
24	MCH - NEURO	800000	680000	120000	800000
25	DM - CORDIO	800000	680000	120000	800000
26	DM - ENDO CRINOLOGY	800000	680000	120000	800000
DM AND MCH -B					
27	DM - ONCOLOGY	1950000	1657500	292500	1950000
28	MCH - ONCOLOGY	1950000	1657500	292500	1950000
29	MCH - UROLOGY	1950000	1657500	292500	1950000
30	BDS	325000	245438	43313	288750
MDS -A					
31	CONSERVATIVE AND ENDODONTICS	625000	531038	93713	624750
32	ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY	625000	531038	93713	624750
33	ORTHODONTICS	625000	531038	93713	624750
34	PEDODONTICS AND PREVENTIVE DENTISTRY	625000	531038	93713	624750
35	PERIODONTICS	625000	531038	93713	624750
36	PROSTHODONTICS	625000	531038	93713	624750

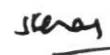
//03//

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण
(राशि रुपये में)

	MDS -B				
37	ORAL PATHOLOGY AND MICROBIOLOGY	100000	85000	15000	100000
38	ORAL MEDICINE AND RADIOLOGY	100000	85000	15000	100000
39	PUBLIC HEALTH DENTISTRY	100000	85000	15000	100000
40	BASLP	175000	148750	26250	175000
41	MASLP	275000	233750	41250	275000
42	Bachelor of Journalism & Mass	45000	38250	6750	45000
43	Bachelor of Arts in Multimedia & Mass Communication	30000	25500	4500	30000
44	BSc Multimedia & Animation	30000	25500	4500	30000
45	BA LLB (HONS)	55000	43350	7650	51000
46	LLB (HONS)	45000	38250	6750	45000
47	LLM	60000	47600	8400	56000
48	DHMCT	40000	32725	5775	38500
49	BHMCT	80000	65450	11550	77000
50	MHMCT	100000	81600	14400	96000
51	BBA-HA	50000	40800	7200	48000
52	MBA-HA	60000	48875	8625	57500

उपरोक्त शुल्क समीक्षा विश्वविद्यालय के प्रस्ताव एवं उनके सनद लेखापाल द्वारा प्रमाणित अंकक्षित वित्तीय आंकड़ों के आधार पर प्रावधिक रूप से की गई है।

1. उपरोक्त समीक्षित शुल्क के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन, प्रवेश, शिक्षण, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेलकूद, एवं अन्य पाठ्येतर गतिविधियों सहित शुल्क सम्मिलित है। विश्वविद्यालय द्वारा उपरोक्तानुसार समीक्षित शुल्क के अतिरिक्त लिये जाने वाले अन्य शुल्क शिक्षा की लागत से अधिक नहीं होंगे एवं अन्य शुल्कों का लेखा भी पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
2. अनुमोदित शुल्क में से विकास शुल्क का लेखा पृथक से संधारित किया जाना अनिवार्य है। अधिनियम के प्रावधानानुसार विकास शुल्क की राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास में ही करना होगा एवं विकास शुल्क के उपयोग से संबंधित ब्यौरा पृथक से संधारित कर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।
3. सत्र हेतु उपरोक्त प्रक्षेपित वित्तीय आंकड़ों एवं अंकक्षित वित्तीय वास्तविक आंकड़ों की परस्पर तुलना कर आगामी वित्तीय वर्ष की शुल्क संरचना का प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा तथा पूर्व वित्तीय वर्ष के शुल्क में अंतर होने पर कारण स्पष्ट किया जायेगा।
4. यदि शिक्षण शुल्क की लागत में वृद्धि होती है तो उसकी पूर्ति किस प्रकार की जावेगी, यह स्पष्ट करना होगा। यदि शिक्षा की लागत में कमी होती है तो विद्यार्थियों से लिये गये अधिक शुल्क को अनिवार्यतः वापस करने हेतु संबंधित विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।
5. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 की धारा 28 एवं 29 के अंतर्गत पाठ्यक्रम संचालन के पूर्व अध्यादेशों के राजपत्र में प्रकाशन का प्रावधान विहित है। उपरोक्त सूची में सम्मिलित ऐसे पाठ्यक्रमों हेतु यह शुल्क आदेश लागू नहीं होगा जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित नहीं है।





// 04 //

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2026-27 में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु अनुमोदित शुल्क का विवरण

6. म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2007 यथासंशोधित द्वितीय संशोधन अध्यादेश 2016 की धारा 9(ख) के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय के कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों को प्रारंभ करने के पूर्व आयोग से अनुज्ञा प्राप्त करने का प्रावधान है। यह शुल्क आदेश केवल विश्वविद्यालय द्वारा आयोग से धारा 9(क) एवं (ख) की अनुमति प्राप्त करके संचालित किये जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लागू होगा।
7. विनियामक परिषदों की अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों हेतु सत्र 2026-27 की अनुमति प्राप्त होने की स्थिति में शुल्क आदेश लागू होगा।

(अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,द्वारा अनुमोदित)

Shan
03/09/2026

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग, भोपाल

पृ. क्रमांक 3175/म.प्र.नि.वि.वि.वि.आ/2026

भोपाल, दिनांक 03.09.2026

प्रतिलिपि—

1. निज सहायक के माध्यम से अध्यक्ष, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
2. कुलगुरु, संबंधित विश्वविद्यालय, म.प्र.।
3. छात्रवृत्ति शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
4. आई.टी. शाखा, म.प्र.नि.वि.वि.वि. आयोग, भोपाल।
5. गार्ड फाईल।

..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं सूचनार्थ।

Shan

सचिव

म.प्र.नि.वि.वि.वि.आयोग,भोपाल

